**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

**सा.का.नि. 807(अ)**—केंद्रीय सरकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश (प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों और सामग्री को विशेष न्यायालय को अग्रेषित करने की रीति) नियम, 2018 को सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--**(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी (तलाशी और अभिग्रहण संचालित करने की प्रक्रिया) नियम, 2018 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं—**(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं ;

(ग) "अधिनियम" से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) अभिप्रेत हैं ;

(घ) "अभिलेख" के अंतर्गत लेखा बहियों के रूप में अनुरक्षित या कंप्यूटर या टेप या डिस्क या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप में भंडारित या प्रतिलिखित सूचना है ;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

**3. तलाशी से संबंधित प्रक्रिया—**(1) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसमें उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि उनमें ऐसे अभिलेख या अपराध के आगत रखे गए हैं, में प्रवेश करने और तलाशी करने के लिए सशक्त होगा और ऐसा अधिकारी,--

(i) किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, शेफ, अलमारी या किसी अन्य ग्राह्य के ताले, जिनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं, को तोड़ने के लिए सशक्त होगा ;

IndiaCode

(ii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करने के लिए सशक्त होगा ;

(iii) ऐसे अभिलेख पर पहचान चिह्न लगाने या उनसे उद्धरण लेने या उनकी प्रतियां बनाने के लिए सशक्त होगा ;

(iv) ऐसे अभिलेख या संपत्ति को नोट करने या माल सूची बनाने के लिए सशक्त होगा ;

(v) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत सभी विषयों के संबंध में शपथ पर किसी व्यक्ति की, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई अभिलेख या संपत्ति पाई जाती है, जांच करने के लिए सशक्त होगा :

(2) इस नियम के अधीन कोई तलाशी संचालित नहीं की जाएगी जब तक किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या यथास्थिति, किसी कार्यालय या मंत्रालय या विभाग के समतुल्य विभागाध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

(3) तलाशी करने से पूर्व निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी,--

(क) जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी की जानी है, उस स्थान, जिसमें तलाशी किया जाने वाला भवन या स्थान अवस्थित है, से दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाएगा ; और

(ख) जहां किसी जलयान, यान या वायुयान की तलाशी की जानी है, तलाशी में भाग लेने और साक्ष्य के लिए दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाएगा और उन्हें या उनमें से किसी एक को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(4) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान का प्रभारी या उनमें कोई व्यक्ति प्राधिकार को प्रस्तुत करने पर निदेशक या निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी को उसमें निर्बाधित प्रवेश अनुज्ञात करेगा और उनकी तलाशी के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा।

(5) यदि ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो प्राधिकार को निष्पादित करने वाले निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के लिए पुलिस अधिकारियों या ऐसे अन्य अधिकारियों, जैसी अपेक्षा हो, की सहायता से ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करना और उनकी तलाशी लेना तथा ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भवन या स्थान के किसी दरवाजे या खिड़की के ताले को, चाहे वह तलाशी किए जाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हों, यदि प्राधिकार प्रस्तुत करने और प्रवेश की सम्यक्तः मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश अभिप्राप्त नहीं कर सकता है, तोड़ना विधिमान्य होगा :

परंतु यदि ऐसा भवन या स्थान कोई ऐसा अपार्टमेंट है, जो किसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है, जो प्रथा के अनुसार लोगों के बीच उपस्थित नहीं होती है, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह वहां से हटने के लिए स्वतंत्र है और उसे वहां से हटने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा और तब वह अपार्टमेंट को तोड़ सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा।

IndiaCode

(6) यदि तलाशी के लिए प्राधिकृत किए जाने वाले किसी जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा जलयान, यान या वायुयान सचल है या किसी अन्य कारण से तो प्राधिकार को निष्पादित करने वाले निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की ऐसी सहायता से, जो वह अपेक्षा करे, ऐसे किसी यान या जलयान या किसी वायुयान की दशा में उसे रोकना, उसे रोकने या उतरने के लिए विवश करना और जलयान, यान या वायुयान के किसी भाग की तलाशी लेना और ऐसे जलयान, यान या वायुयान के किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना, चाहे वह तलाशी किए जाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हों, यदि प्राधिकार प्रस्तुत करने के पश्चात् और प्रवेश करने की सम्यक् मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश अभिप्राप्त नहीं करता है, विधिमान्य होगा :

परंतु यदि ऐसा जलयान, यान या वायुयान किसी महिला के अधिभोग में है, जो प्रथा के अनुसार जनता के बीच उपस्थित नहीं होती है, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह वहां से हटने के लिए स्वतंत्र है और उसे वहां से हटने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा तथा तब वह जलयान, यान या वायुयान के दरवाजे को तोड़ सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

(7) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति से, जो स्वामी है या जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई बॉक्स, लॉकर, शेफ, अलमारी या कोई अन्य ग्राह्य, ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में अवस्थित है, से उसे खोलने की और उनकी अंतर्वस्तु का निरीक्षण या जांच करने की अपेक्षा कर सकेगा और जहां उनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं या जहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे बॉक्स, लॉकर, शेफ, अलमारी या अन्य ग्राह्य के ताले को तोड़ सकेगा, जिसे इस निमित्त निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों को पूरा करने के लिए निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक समझें ।

(8) तलाशी किए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान का अधिभोगी, जिसके अंतर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या इस निमित्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, को ऐसी तलाशी के दौरान भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(9) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी तलाशी और अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् उस उपधारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे की सामग्री के साथ इस प्रकार अभिलिखित कारणों की एक प्रति मुहरबंद लिफाफे में विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा ।

**4. अभिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया—**(1) यथास्थिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भवन, स्थान, जलयान या यान या वायुयान में तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) जहां किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी यह आदेश पारित कर सकेगा कि संपत्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा या अन्यथा उसका ऐसा आदेश करने वाले निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञेय के बिना निपटान नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति की संबंधित व्यक्ति को तामील की जाएगी ।

(3) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में एक अभिग्रहण मेमो (मदों की माल सूची) तैयार करेगा, जिसको तलाशी किए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी, जिसके अंतर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक

व्यक्ति या उसके निमित्त किसी व्यक्ति है, को परिदत्त किया जाएगा और निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार तैयार की गई माल सूची की प्रति निदेशक और विशेष न्यायालय को भी अग्रेषित करेगा ।

(4) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों के अभिलेखों, जिसके अंतर्गत तलाशी के दौरान अभिग्रहण किया गया सोना-चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान चीजें तथा अन्य वस्तुएं हैं, को एक आधान में रखेगा या रखवाएगा, जिसमें सोना-चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान चीजों तथा वस्तुओं के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, ऐसे आधान पर निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी का पहचान चिह्न और मुहर होगी तथा ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसके अंतर्गत तलाशी लिए गए ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या इस निमित्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, को भी आधानों पर अपनी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

**5. संपत्ति या अभिलेखों का प्रतिधारण—**(1) जहां नियम 4 के अधीन किसी संपत्ति या अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया है और निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के पास उसके कब्जे की सामग्री के आधार पर यह विश्वास (ऐसे विश्वास के कारणों को उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा) करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति या अभिलेखों को धारा 12 के अधीन भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित करने की अपेक्षा है तो ऐसी संपत्ति या अभिलेखों का, यदि अभिग्रहण किया गया है, उस तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए, जिसको ऐसी संपत्ति या अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया था या ऐसी विस्तारित अवधि, जो प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रतिधारित किया जाएगा ।

(2) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा संपत्ति या अभिलेखों के प्रतिधारण के तुरंत पश्चात् मदों की माल सूची को प्ररूप 1 में मुहरबंद लिफाफे में विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा ।

(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर सिवाय उक्त अवधि से परे ऐसी संपत्ति या अभिलेखों को प्रतिधारित करने के लिए विशेष न्यायालय की अनुज्ञा न दी जाए, संपत्ति या अभिलेखों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा, जिससे ऐसी संपत्ति या अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया था ।

**6. माल सूची अग्रेषित करने की रीति—**(1) यथास्थिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति मदों को प्रतिधारित करने के कारणों की प्रति के साथ उसके कब्जे में मदों का एक इंडेक्स तैयार करेगा और ऐसे इंडेक्स के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा इंडेक्स की एक प्रति को पारेषण की संदर्भ संख्या और तारीख को उपदर्शित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा ।

(2) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर और अन्य अभिलेख, जैसे अभिस्वीकृति पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने के तुरंत पश्चात् रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां की जाती हैं ।

**प्ररूप**

**[नियम 4 का उपनियम (3) और नियम 5 का उपनियम (2) देखें]**

**अभिग्रहण ज्ञापन**

(मदों की सूची)

तारीख .....

..... [समय] से ..... [समय] तक

पंच साक्षी :

1. ..... [नाम, पूरे पते सहित]

2. ..... [नाम, पूरे पते सहित]

हम, ऊपर नामित पंच, जिन्हें श्री ..... [अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] द्वारा बुलाया गया है, स्वयं को ..... [परिसर का पूरा पता] पर उपस्थित करते हैं।

यहां हमें श्री ..... [निदेशक का नाम, पदनाम और पूरा पता] द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी तारीख ..... का एक प्राधिकार दिखाया गया था, जिसके द्वारा श्री ..... [निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] को ऊपर लिखित परिसरों की तलाशी लेने या अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। हमने और साथ ही श्री ..... [परिसरों के अधिभोगी का नाम] ने प्राधिकार को देखे जाने के साक्ष्य स्वरूप तारीख सहित अपने हस्ताक्षर किए हैं। श्री ..... [प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] और उनके साथ आए अधिकारियों, अर्थात् सर्वश्री/श्री/श्रीमती ..... ने तलाशी को वास्तविक रूप में आरंभ करने से पूर्व और तलाशी को समाप्त करने के पश्चात्, दोनों अवसरों पर, उनकी स्वयं की तलाशी लेने की प्रस्थापना की थी, जिससे सर्वश्री/श्री/श्रीमती ..... ..... [परिसरों के अधिभोगी] ने इंकार किया था या/द्वारा तलाशी ली गई थी। तलाशी तारीख ..... को ..... बजे आरंभ हुई थी और तारीख ..... को ..... बजे समाप्त हुई थी। तलाशी के परिणामस्वरूप ..... ..... ..... ..... ..... ..... [अपराध के आगमों या बेनामी संपत्ति या अन्य संपत्ति के अभिलेखों को विनिर्दिष्ट करें] की जांच तथा उनका सत्यापन किया गया था और नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार उनकी सूची तैयार की गई थी या उन्हें बरामद किया गया था और उनका अभिग्रहण किया गया था या उनके अंतरण को प्रतिषिद्ध किया गया था। तलाशी का संचालन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रीति में किया गया था और तलाशी के अनुक्रम के दौरान किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

[हस्ताक्षर]

निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी

[मुद्रा]

IndiaCode

**अनुसूची**

[बरामद और अभिगृहीत मदों की सूची]

पंच साक्षी :

1. ..... [नाम, पता और हस्ताक्षर, तारीख सहित]

2. ..... [नाम, पता और हस्ताक्षर, तारीख सहित]

.....

[उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसकी तलाशी ली गई]

(प्राधिकारी)

हस्ताक्षर, मुद्रा सहित

(प्रति प्राप्त की)

[उस व्यक्ति का नाम, पता और हस्ताक्षर, जिसकी तलाशी ली गई]

**टिप्पण—**अभिग्रहण ज्ञापन के प्रत्येक पृष्ठ पर पंच साक्षियों, उस व्यक्ति के, जिसकी तलाशी ली गई और प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और तारीख डाली जाएगी ।

[फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

IndiaCode

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2018

**G.S.R. 807(E).--**In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Special Court) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Procedure for Conducting Search and Seizure) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "authorised officer" means an officer not below the rank of a Deputy Director authorised by the Director for the purpose of these rules;

(b) "Form" means form appended to these rules;

(c) "Act" means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);

(d) "records" include the records maintained in the form of books or stored in a computer or tapes or discs or in any other electronic form or transcribed information;

(e) "section" means a section of the Act;

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Procedure relating to search**.— (1) The Director or the authorised officer shall enter and search any building, place, vessel, vehicle or aircraft where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept and such officer may,-

(i) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle in case keys thereof are not available;

(ii) seize any record or property found as a result of such search;

(iii) place marks of identification on such record or make or cause to be made extracts or copies therefrom;

(iv) make a note or an inventory of such record or property;

(v) examine on oath any person, who is found to be in possession or control of any record or property, in respect of all matters relevant for the purposes of any investigation under this Act.

IndiaCode

(2) No search shall be conducted under this rule unless a report has been submitted by an officer authorised to investigate to an officer not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent being head of the office or Ministry or Department, as the case may be, or any other officer who may be authorised by the Central Government, for this purpose.

(3) Before making a search, the Director or the authorised officer, shall—

(a) where a building or place is to be searched, call upon two or more respectable persons of that locality in which the building or place to be searched is situated; and

(b) where a vessel, vehicle or aircraft is to be searched, call upon any two or more respectable persons, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(4) Any person in charge of, or, in any building, place, vessel, vehicle or aircraft shall, on production of the authorisation, allow the Director or the authorised officer free ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein.

(5) If ingress into such building or place cannot be obtained, it shall be lawful for Director or the authorised officer executing the authorisation, with such assistance of police officers or of such other officers, as may be required, to enter such building or place and search therein and in order to effect an entrance into such building or place, to break open any lock of any door or window of any building or place, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that if any such building or place is an apartment in actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, Director or the authorised officer shall before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it.

(6) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched cannot be obtained because such vessel, vehicle or aircraft is moving or for any other reason, it shall be lawful for Director or the authorised officer executing the authorisation, with such assistance as may be required of police officers and such officers, to stop any such vessel or vehicle or in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft, and in order to effect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft to break open any door or window of any such vessel, vehicle or aircraft, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of the authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that if any such vessel, vehicle or aircraft is occupied by a woman, who according to custom does not appear in public, the Director or the authorised officer shall, before entering such vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the door of any vessel, vehicle or aircraft and enter it.

IndiaCode

(7) The Director or the authorised officer may require any person who, is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle situated in such building, place, vessel, vehicle or aircraft, to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and, where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may break open the lock of such box, locker, safe, almirah or other receptacle which Director or the authorised officer may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified by Director in this behalf.

(8) The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf, shall be permitted to attend during the search.

(9) The Director or the authorised officer shall, immediately after search and seizure forward a copy of the reasons so recorded along with material in his possession, to the Special Court in a sealed envelope.

4. **Procedure relating to seizure**.— (1) The Director or any other officer authorised by him, as the case may be, may seize any record or property found as a result of search of any building, place, vessel or vehicle or aircraft.

(2) Where it is not practicable to seize any record or property, the Director or the authorised officer, as the case may be, may pass an order that the property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the Director or the authorised officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned.

(3) The Director or the authorised officer shall prepare a seizure memo (inventory of items) in Form appended to these rules which shall be delivered to the occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf and the Director or the authorised officer shall also forward a copy of the inventory so prepared to the Director and the Special Court.

(4) The Director or the authorised officer shall place or cause to be placed the records of properties including bullion, jewellery and other valuable articles and things seized during the search in a package which shall contain the details of the bullion, jewellery and other valuable article and things placed therein and such packages shall bear an identification mark and the seal of the Director or the authorised officer, and the occupant of such building, place, vehicle or aircraft, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft searched or any other person on his behalf shall also be permitted to place his seal on packages.

5. **Retention of property or records**.— (1) Where any property or records have been seized under rule 4 and the Director or the officer authorised by him in this behalf has, on the basis of material in his possession, reason to believe (the reason for such belief to be recorded by him in writing) that such property or records are required to be retained for the purposes of declaration of fugitive economic offender under section 12, such property or records may, if seized, be retained for a period not exceeding thirty days from the day on which such property or records were seized or such extended period as may be allowed by the Special Court on the request of the officer authorised.

IndiaCode

(2) The Director or the officer authorised by him shall, immediately after he has retained the property or records under sub-rule (1), forward the inventory of items in the Form to the Special Court, in a sealed envelope.

(3) On the expiry of the period specified in sub-rule (1), the property or records shall be returned to the person from whom such property or records were seized unless the Special Court permits retention of such property or records beyond the said period.

6. **Manner of forwarding an inventory**.—(1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index of the items in his possession along with a copy of the reasons for retention of the items and sign each page of such index and forward a copy of the index to the Special Court in a sealed envelope indicating a reference number and date of dispatch.

(2) The Director or the authorised officer shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register and dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the reasons along with the material are forwarded to the Special Court.

FORM

[See sub-rule (3) of rule 4 and sub-rule (2) of rule 5]

SEIZURE MEMO

(INVENTORY OF ITEMS)

Dated.....

From ..... [time] to..... [time]

Panch Witnesses:

1. ..... [name with complete address]

2. ..... [name with complete address]

We, the above named panchas having been called upon by Shri ..... [name, designation and complete address of Officer] have presented ourselves at..... [complete address of the premises]. Here we were shown an authorisation dated..... issued by Shri ..... [name, designation and complete address of the Director] under sub-section (1) of section 8 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) authorizing Shri ..... [name, designation and complete address of the officer authorised by the Director] to conduct search or seizure of the above mentioned premises. We as well as Shri ..... [name of the occupier of the premises] put our dated signatures on the authorisation in token of having seen the same. Before the actual start of search and after the conclusion of search by Shri..... [name, designation and complete address of the Director or the authorised officer] and the accompanying officers viz. Sarvashri/Shri/Shrimati..... offered their personal search which was declined or taken by Sarvashri/Shri/ Shrimati..... [the occupier of the premises] on both the occasions in our presence. The search started at .....hours on..... and concluded at .....hours on.....As a result of search.....[specify proceeds of crime or records or benami property or other property] were checked and verified and inventory prepared or recovered and seized or prohibited from transfer as per details given in the Schedule below. The search was conducted in a peaceful and orderly manner and no damage to the person or property was caused during the course of search.

[Signature]

Director or the authorised officer

[Seal]

SCHEDULE

[Inventory of items recovered and seized]

Panch Witnesses:

1. ..... [name, address and signature with date]

2. ..... [name, address and signature with date]

.....

[signature of the person searched]

(Director or the authorised officer)

Signature with Seal

(Received copy)

[name, address and signature of the person searched]

**Note.—**Each page of the seizure memo is to be signed and dated by the Panch Witnesses, the person searched and the Director or the authorised officer.

[F. No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

indiacode